स्कूली शिक्षा में असमानता का वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा पर प्रभाव (मुजफ्फरपुर जिला के प्रारंभिक विद्यालय के संबंध में एक अध्ययन)

तमन्ना अनवर

शोध छात्रा, शिक्षा संकाय, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

शोध सार

समाज में यदि असमानता का वातावरण बना रहता है तो व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास सम्भव नहीं है और साथ ही साथ समाज में विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। समाज में अनेक प्रकार के वर्ग, जातियाँ, संस्कृतियाँ, मानव जाति तथा समूह विद्यमान है। इन सबको समान स्तर पर लाने के लिए सामाजिक समता का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे समाज ने मानव सभ्यता के विकासक्रम में सत्ता व व्यवस्था के भिन्न-भिन्न रूपों को देखा व उन वर्चस्वादी ताकतों क अनुरूप जीने को बाध्य हुआ। सहस्त्राब्दियों तक सुविधाविहीन धन, प्रतिष्ठा व ताकत से महरूम एक बड़े वर्ग को सुविधायुक्त बेहत्तर व सम्भावित जीवन जीने की व्यवस्थाओं से दूर रखा गया। सुविधाओं से वंचित किए जाने का आधार जन्म का कुल, लिंग, निवास स्थान, भाषा, धर्म व सम्प्रदाय रखे गए। ये आधार जो मूल रूप में विभिन्नताएँ हैं, के कारण किसी वर्ग व व्यक्ति विशेष के विकास के लिए जरूरी सुविधाओं से वंचित किए जाने से ही असमानता की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार असमानता सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न हुई। असमानता वह स्थिति है जिसमें एक ही समाज के भिन्न-भिन्न जन समुदाय विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में रहने को बाध्य होते हैं। इसी असमानता से ही समाज में कई प्रकार के बंधन की स्थिति उत्पन्न होती है।

शब्द कुँजी: असमानता, सार्वभौमीकरण, सम्प्रदाय, समतामूलक, गुणवत्ता, भावात्मक एकता

भारतीय संविधान में समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार व समान कर्तव्य निश्चित है और सभी को अपना विकास करने के समान अवसर प्रदान करने की घोषणा है, परन्तु व्यवहार में इन सबमें आज भी असमानता है। वर्तमान समय में असमानता देश में व्याप्त सबसे बड़ी समस्या है। सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता के कारण देश का विकास रूका हुआ है। सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में नैतिकता खत्म होती जा रही है। आर्थिक असमानता के कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और गरीब। शैक्षिक असमानता के कारण ही समाज के वंचित वर्गों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा ऐसी हो जो सोचना सिखायें, कर्त्तव्य और अधिकार का बोध कराये।

शिक्षा में समानता लाने हेतु विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण रूप से विभेदरहित बनाना होगा अर्थात् इसमें ऊँच-नीच का अन्तर खत्म करना होगा। शिक्षा ही समानता तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करने में सहायक होती है। अत: सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करना होगा तभी शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक बात भारत की है तो जातीय असमानता भारत में शैक्षिक समानता में सबसे बड़ी बाधक है। यही कारण है कि आज महंगे पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का लाभ प्राय: उच्च जाति के लोग ही उठाते हैं और निम्न जातियाँ आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं।

शिक्षा में असमानता की एक मुख्य बाधा धर्म के आधार पर शैक्षिक असमानता का पाया जाना भी है। अभी भी भारत में हिन्दू पारम्परिक शिक्षा पर बल देते हैं तथा मुस्लिम मजहबी शिक्षा पर बल देते हैं जिसके कारण आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षा के समान अवसरों की प्राप्ति सम्भव नहीं हो पाती है। धर्म द्वारा पोषित रूढ़ियाँ एवं प्रयास महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में आज भी बाधक बने हुए हैं। अभिभावकों की अशिक्षा, गरीबी एवं आर्थिक विषमता, शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण व महंगी शिक्षा व्यवस्था एवं राजनीतिक-प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव के कारण भी शिक्षा की सर्वसुलभता नहीं हो पायी है। संरचनात्मक सुविधाओं की उपर्याप्त और क्षेत्रीय विषमता के कारण भी सभी जगहों पर संसाधनों का उपयुक्त नियोजन नहीं हो पाया है। साथ ही व्यक्ति के शिक्षा के स्वरूप का, व्यक्ति के वैचारिक दृष्टिकोण के अनुकूल न होने के कारण शिक्षा के प्रति लोगों की रूचि को सकारात्मक नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता के लिए घरेलू सहायता के लिए परिवार द्वारा लड़कियों का इस्तेमाल, लड़कियों पर लड़कों की अपेक्षा खर्च में भेदभाव शिक्षा में असमानता को बढ़ावा देते हैं।

शिक्षा में समानता एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने के बावजूद आज भी शिक्षा में समानता के लक्ष्य को पूर्णत: हासिल नहीं किया जा सका है। 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी संकल्प व्यक्ति किया गया था कि 21वीं शताब्दी के शुरू होने के पहले देश में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य तथा गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा में समानता की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। यद्यपि यह असमानता हमारे भारतीय समाज मे कई रूपों में व्याप्त है, परन्तु मुख्यत: यह असमानता जातिगत होता है। यही कारण है कि जब भी हम किसी भी क्षेत्र या देश के विकास को जानना चाहते हैं जो इसका संकेत उसकी साक्षरता दर से व विशेषत दोनों पुरूष एवं महिला की साक्षरता दर से लगाते हैं। इसी दिशा मे सरकार ने 'सबके लिए शिक्षा' की जोरदार वकालत की और इस पर पूरा घ्यान केन्द्रित किया। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप सन् 1947 में महज 12 प्रतिशत साक्षरता दर के मुकाबले सन् 2011 तक साक्षरता दर 74. 04 प्रतिशत हो गयी है, फिर भी भारत के अधिकांश वंचित वर्ग के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं। आज शिक्षा में असमानता के कारण उच्च वर्ग के बच्चों की अपेक्षा निम्न वर्ग के बच्चों विशेषकर बालिकाओं की साक्षरता दर में जमीन-आसमान का अंतर है।

शिक्षा में समानता से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करे। लोकतांन्त्रित राष्ट्र के लिए तो यह और भी अनिवार्य हो जाता है। वैसे भी भारत के सभी वर्गों में आज शिक्षा के प्रति अपूर्व जन-जाग्रति उत्पन्न हुई है।

भारतीय संविधान में नागरिकों के एक समान अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की विशद् व्याख्या की गयी है। संविधान की धारा 29(2) के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जायेगा। जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यन्त आदर्श मानता है, जन साधारण की हालत सुधारने तथा समस्त शिक्षा पाने योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त होती जाये। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज, जिसमें निर्बल का शोषण कम से कम हो, बनाने का यही एक सुनिश्चित साधन है।

आधुनिक सभ्य समाज में स्कूली शिक्षा में असमानता का होना एक बिडम्बना है। भारतीय समाज में सभी को उपलब्ध शैक्षिक उवसरों की असमानता संभवत: अनादिकाल से चली आ रही है। वर्ष 2002 में हुए संविधान संशोधन के द्वारा पाँच से चौदह वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के से भी यह समस्या हल नहीं हुई है। विभिन्न कारणों से शैक्षिक अवसरों तथा संसाधनों तक पहुँच में असमानता के कारण सभी को शिक्षा का लाभ अभी भी समान रूप से नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा एवं शिक्षण का विभेदीकृत स्तर हमारे समाज के शैक्षिक उन्नयन में एक बड़ी बाधा बनती जा रही है। यद्यपि सभी स्कूलों, कॉलेजों में उच्च स्तरीय अध्यापन कार्य को करने की आवश्यकता है,परन्तु शिक्षा की गुणवत्ता तथा अध्यापन के स्तरों में पर्याप्त विभिन्नताएँ होने के कारण भारत में पब्लिक स्कूल का साम्राज्य तेजी से फल-फूल रहा है। सम्पन्न व सजग अभिभावक विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में दिये जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को घ्यान में रखकर भौगोलिक दूरी व आर्थिक भार पर विचार किये बिना अपने बच्चों को कुछ चुने हुए स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में यद्यपि सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है, परन्तु असमानता की इस अंधी व अवनतिपूर्ण खाई में शिक्षा व्यवस्था को गिरने से बचाना आवश्यक है। शिक्षा समतापरक समाज बनाने एवं गौरवशाली जीवन जीने के पावन लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है।

शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या शैक्षिक असमानता का द्योतक है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक असमानता दिखाई देती है। विद्यालय मे प्रवेश में ही समानता न हो बल्कि छात्र स्कूल में बना रहे, वह विद्यालय छोड़ न दे, इसके लिए भी समान अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे विशेष रूप से लड़कियाँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। यह भी एक असमानता ही है। वर्तमान सभ्य समाज में स्कूली शिक्षा में असमानता का होना अत्यन्त ही चिन्ताजनक विषय है।

अध्ययन का परिक्षेत्र एवं मुद्दा :

समानता का अधिकार एक सार्वभौतिक अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका निहितार्थ है कि सभी को शिक्षा प्राप्ति के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। आजादी के 72 वर्ष बाद भी स्कूली शिक्षा मे असमानता का होना अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी गरीबी रेखा से नीच गुजर-बसर कर रहे हैं, जबकि एक छोटा सा भाग ही आर्थिक रूप से सम्पन्न है। गरीबी एवं वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के वे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जो समृद्ध परिवार के बच्चों को होते हैं। शिक्षा शुल्क, पठन-पाठन सामग्री,पौषिक आहार आदि की कमी के कारण निर्धन एवं वंचित वर्ग के बच्चे या तो विद्यालय पहुँच ही नहीं पाते हैं और यदि पहुँच भी जाते हैं तो उनमें से अधिकांशत: शिक्षा बिना पूरी किए ही विद्यालय छोड़ देते हैं। शैक्षिक असमानता के लिए विभिन्न स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में विद्यमान अन्तर भी उत्तरदायी है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अल्पसाधन युक्त परिवार के बच्चों को उपलब्ध शिक्षा तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित साधन-सम्पन्न विद्यालय के छात्र को उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता कभी भी समतुल्य नहीं हो सकती। अशिक्षित माता-पिता के बच्चे अथवा ग्रामीण परिवेश में रहने वाले माता-पिता के बच्चे शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो शिक्षित माता-पिता अथवा शहरी परिवार अथवा समृद्ध परिवार के बच्चे प्राप्त कर लेते हैं।

परम्परागत भारतीय समाज में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। लड़कियों को शिक्षा के प्रति इस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण लड़के तथा लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। समाज के प्रगतिशील तथा पिछड़े वर्गों के मघ्य शैक्षिक विकास में अन्तर पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक विसंगतियों के कारण अनुसूचित जातियों,जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के

बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं मिल पाते हैं जो समाज की तथाकथित सम्पन्न जातियों के बच्चों को मिल पाते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सर्वाधिक लाभ सम्पन्न, समृद्ध तथा शहरी वर्ग के लोग प्राप्त करते हैं। निर्धन तथा साधनविहीन ग्रामीण इस प्रणाली का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लोकतंत्र की प्रगति के लिए तथा समावेशी विकास के लिए शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के प्रयास करने की महती आवश्यकता है, जिससे सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बल मिल सके।

संबंधित साहित्य का अध्ययन :

डॉ0 रामशकल पाण्डेय (2012) ने अपनी महत्त्वपूर्ण कृति ''उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षक' में शिक्षा में असामनता पर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने शिक्षा में असमानता के कई कारक बतलायें हैं- यथा- निर्धानता, अवसर का अभाव, सामाजिक स्तरीकरण। विभिन्न स्कूलों में आये बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर होता है और उनके मूल्यांकन के समान स्तर का पता नहीं चलता। बालकों के परिवारों में भिन्न जीवन स्तर होता है। साथ ही लड़कियों के साथ भेद-भाव की स्थिति आदि शिक्षा में असमानता के कारण है।

डॉ0 एस.पी.गुप्ता एवं डॉ0 अल्का गुप्ता (2012) ने अपनी पुस्तक ''भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ'' में स्पष्ट किया है कि शैक्षिक असमानता एक सार्वभौमिक तथ्य है। विश्व का ऐसा कोई भी समाज नहीं है, जहाँ व्यक्तियों में पूर्ण समानता पाई जाय। शैक्षणिक असमानता एक समस्या तब बन जाती है जब सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत शैक्षणिक मूल्यों एवं प्रतिमानों के कारण व्यक्तियों के विकास के अवसर समान रूप से प्राप्त नहीं हो पाते। जब किसी शैक्षणिक संस्थान में जाति तथा लिंग के आधार पर उँच-नीच की स्थिति प्रदान की जाती है, तब इसी स्थिति को शैक्षणिक असमानता कहते हैं, जो सामाजिक असमानता का एक स्वरूप है। सैद्धान्तिक दृष्टि से भारतीय संविधान में सभी के लिए शिक्षा के कानून को प्रस्तुत किया गया, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से गरीब, अत्यन्त पिछड़े तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ शैक्षिक संस्थानों में भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा उनका तिरस्कार, अपमान एंव प्रताड़ना आज भी जारी है, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के साथ।

ज्ञान के क्षेत्र मे योगदान :

समानता और न्याय पर आधारित समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए सामाजिक पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसके लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जो सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करें। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं परन्तु आज भी विद्यालयी शिक्षा में असमानता विद्यमान है। विद्यालयी शिक्षा में असमानता का होना आधुनिक सभ्य समाज में उचित नहीं है। अत: शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि शैक्षिक असमानता के कारणों को पहचाने तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के प्रयास निरन्तर होते रहें। तभी जाकर सभी को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकेगे।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. शिक्षा में असामनता की प्रकृति एवं रूपों का उल्लेख करना।
2. शिक्षा में असमानता के परिणामों का मूल्यांकन करना।
3. स्कूली शिक्षा में असमानता का वंचित वर्ग के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना।
4. समानता को प्रोत्साहित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना।
5. वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना :

1. आज भी निर्धन एवं वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।
2. शिक्षा में व्याप्त असमानता के कारण पिछड़े वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर आजादी के 70 वर्ष बाद भी निम्न स्तर पर है।
3. स्कूली शिक्षा में असमानता के कारण अधिकांश

वंचित वर्ग के बच्चें बीच मे ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

4. सवैधानिक प्रावधानों में सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था की जाए। इ
5. वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए सरकारी पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पुस्तक, छात्रवृत्ति योजना का संचालन कर रही है।

भारत में बड़ी संख्या में बच्चों को शैक्षणिक व्यवस्था से बाहर रखा जाता है और इसलिए वे अपने समुदायों के आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में सार्थक रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। हाशिए पर जीवनयापन करने वाला समुदाय यह समूह है जो समाज के निचले तबके से आता है, जो समूह आज भी मुख्य धारा के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और समाजिक गतिविधियों में शामिल होने से वंचित है। आज भी महिलाओं,आदिवासी समूहों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति तबकों में एक बड़ा वर्ग अनपढ़ लोगों का है। मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रम उन बच्चों तथा उन लोगों जिनमें की समाज में हाशिए पर धकेल दिये गये लोग मुख्य रूप से शामिल है,उनकी जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। शिक्षा का अधिकार सार्वभौमिक है और किसी भी प्रकार के बहिष्कार या भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, आज भी भारत जैसे विकासशील देश को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को सभी के लिए उपलब्ध करवाने में चुनौतियों का सामाना करना पड़ रहा है। राज्यों का यह दायित्व है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन सिद्धांतों को लागू करें और शिक्षा में मौजूदा असमानताओं को खत्म करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करते हुए नये कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत आलेख में स्कूली शिक्षा में असमानता का वंचित वर्ग के बच्चों पर प्रभाव पर केन्द्रित है, जो ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित ही योगदान दे सकता है। हमारे देश में अमीरों और गरीबों के बीच बहुत बड़ी खाई इन दोनों वर्गो के बीच आर्थिक और सामाजिक स्तरों में बहुत बड़ी विषमता है। अमीर और अधिक अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। भावात्मक एकता के मार्ग में मुख्य बाधा है-भारत के निवासियों के बीच विशाल सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ और उससे सम्बद्ध कल्याण और अवसर की असमानताएँ समाज में विद्यमान है। संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए हर तरह के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय तथा स्तर एवं अवसर की समानता पर जोर देती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. मिश्रा, डॉ0 महेन्द्र कुमार 2011, भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, क्लासिक पब्लिकेश्न, जयपुर
2. कोहली, डॉ0 वि. के., भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, विवेक पब्लिशर्स, हरियाणा
3. सेवानी, अशोक एवं सिंह, उमा, 2009, शिक्षा सिद्धांत एवं आधुनिक भारत में शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
4. नाईक, जे0 पी0, 1960, ग्राम पंचायत इन प्राइमरी एजुकेशन, इंडियन जर्नल ऑफ एडूकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, भाग, नं0 2, 1960
5. सक्सेना, एन.आर. एवं चतुर्वेदी, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 2007
6. लाल, रमन बिहारी तथा कान्त, कृष्ण, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ, 2012
7. पाठक, पी.डी, 1974, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
8. मालवीय, डॉ0 राजीव, 2009, शिक्षा के नूतन आयाम, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
9. गुप्ता, डॉ. एस.पी. एवं गुप्ता डॉ. अलका, 2012, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद